GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD) /रेलवे बोर्ड

S. No. PC-VI/ 208 RBE No. 75 /2010
No.PC-V/2007/PNM/DC-JCM/1 New Delhi, dated 17-05-2010

The General Manager/CAO(R)
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub: Railway Services (Revised pay) Rules 2008 – Schedule for Revised Pay scales of Pay – Clarification reg.
Ref: Board's letter No. PC-VI/2008/I/RSRP/1 dated 22.9.2008 (RBE No.124/2008)

The pay structure of the posts of Section Officers(Accounts)/TIA/ISA in the pre-revised scale of pay of RS.6500-10500 was notified in the schedule circulated vide Board's letter referred above.

2. Earlier, the recruitment rules for these posts incorporated in Indian Railway Establishment Manual, Vol-I, 1989 Edition were amended vide Advance Correction Slip No.194 issued vide Board's letter No. PC-V/98/1/11/23(Pt.) (RBE No. 54/2007) dated 05.04.2007 to provide for promotion of Accounts Assistants not qualified in Appendix-3 Examination on seniority-cum-suitability basis to the extent of 5% of these posts designated as Senior Accounts Assistants. It has now been decided by the Board to clarify that these posts of Sr. Accounts Assistants, being the posts of the cadre of Section Officer(A/cs)/TIA/ISA, would carry the same pay structure as available to the Section Officers (Accounts)/TIAs/ISAs and notified vide Board's circular dated 22-9-2008 referred above. Further, like SO(A/cs.), Sr. Accounts Assistants will retain the existing classification as Group 'C'.

3. This will take effect from 05-4-2007.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Pursuant to item nos. 22 & 23/2007 raised in the DC-JCM Meeting by the Federations this instruction clarifying the position is being issued.

6. Hindi version is enclosed.

(N. P.Singh)
Deputy Director, Pay Commission
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पीसी-VI/ 208 | **आरबीई सं. 75/2010**
सं. पीसी-V/2007/पीएनएम/डीसी-जेसीएम/1 | **नई दिल्ली, दिनांक: 17 .05.2010**

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)।

विषय: रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 - वेतन के संशोधित वेतनमानों की अनुसूची से संबंधित स्पष्टीकरण।
संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 22.09.2008 का पत्र सं. पीसी-VI/2008/आई/ आरएसआरपी/1 (आरबीई सं. 124/2008)।

6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान में अनुभाग अधिकारी (लेखा)/टीआईए/आईएसए के पदों की वेतन संरचना बोर्ड के उपर्युक्त पत्र द्वारा परिपत्रित अनुसूची में अधिसूचित की गई थी।

2. पहले, भारतीय रेल स्थापना नियमावली, वॉल्यूम-I, 1989 संस्करण में समाविष्ट इन पदों के भर्ती नियम बोर्ड के दिनांक 05.04.2007 के पत्र सं. पीसी-V/98/1/11/23(पार्ट) (आरबीई सं. 54/2007) द्वारा जारी की गई अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 194 द्वारा संशोधित किए गए थे ताकि परिशिष्ट-3 परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं करने वाले लेखा सहायकों की वरीयता एवं उपयुक्तता के आधार पर वरिष्ठ लेखा सहायकों के रूप में पदनामित इन पदों पर 5% की सीमा तक पदोन्नति की जा सके। बोर्ड द्वारा अब यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है कि वरिष्ठ लेखा सहायकों के ये पद अनुभाग अधिकारी (लेखा)/टीआईए/आईएसए के संवर्ग के पद होने के कारण इनकी वेतन संरचना अनुभाग अधिकारी (लेखा)/टीआईए/आईएसए के समान होगी तथा ये बोर्ड के दिनांक 22.09.2008 के उपर्युक्त परिपत्र द्वारा अधिसूचित हैं। इसके अलावा, अनुभाग अधिकारी (लेखा) के समान, वरिष्ठ लेखा सहायक ग्रुप 'सी' के मौजूदा वर्गीकरण में रहेंगे।

3. यह 05.04.2007 से प्रभावी होगा।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

5. यह अनुदेश फेडरेशनों द्वारा डीसी-जेसीएम की बैठक में उठाई गई मद सं. 22 एवं 23/2007 के अनुसरण में स्थिति स्पष्ट करते हुए जारी किए जा रहे हैं।

(एन.पी. सिंह)
उप निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

FINANCE-PC-V